राजस्थान सरकार

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)

(E mail : DIR.SOCIALAUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN TEL. 0141-2227033)

क्रमांकः एफ61(1)SSAAT/Bankaccount/2020-21/ 2041 जयपुर, दिनांकः 17.3.21

कार्यालय आदेश (आदेश कमांक 30 /2021)

विषयः–ब्लॉक/ग्राम संसाधन व्यक्तियों को राजस्थान पेमेंट प्लेटफार्म पर ई पंचायत एप्लीकेशन के माध्यम से मानदेय भुगतान व्यवस्था बाबत।

भारत सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों की अनुपालना में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार के अनुमोदन अनुसार माह दिसम्बर 2020 से महात्मा गाँधी नरेगा योजना का समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण (Concurrent Social Audit) कार्य सम्पादित किया जा रहा है।

इस कार्यालय के आदेश कमांक एफ.61(110)SSAAT/Conc. SA Calendar/20–21/2018 दिनांक 09.12.2020 (आदेश संख्या 11/2020) एवं समसंख्यक पत्रांक 201 दिनांक 22.01.2021 द्वारा मानदेय भुगतान हेतु प्रपत्र–8/संशोधित प्रपत्र–8 सोसायटी मुख्यालय जयपुर भिजवाने बाबत निर्देश जारी किये गये थे। इस कार्य के मानदेय भुगतान हेतु पत्रांक एफ61(1)SSAAT/ Bankaccount/ 2020-21/275 दिनांक 28.01.2021 (आदेश कमांक 28/2021) द्वारा सोसायटी में राजस्थान पेमेंट प्लेटफार्म की व्यवस्था लागू की गई है। मानदेय भुगतान व्यवस्था को और सरल एवं सुगम बनाने के दृष्टिकोण से सक्षम स्तर पर लिये गये निर्णय अनुसार निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाते हैं:–

1. राजस्थान पेमेंट प्लेटफार्म पर संचालित ई पंचायत एप्लीकेशन के माध्यम से संबंधित पंचायत समिति के अंतर्गत पंजीकृत ब्लॉक/ग्राम संसाधन व्यक्तियों के मानदेय भुगतान हेतु संबंधित विकास अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी, मनरेगा को इस कार्यालय के आदेश कमांक एफ 61(1)SSAAT/ Bankaccount/2020-21/ 1958 दिनांक 16.03.2021 (आदेश कमांक 29/2021) द्वारा अधिकृत किया गया है। किसी भी अन्य पंचायत समिति के अधीन अन्य ग्राम पंचायतों अर्थात अधीनस्थ पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायतों के अतिरिक्त अन्य किसी भी ब्लॉक/ग्राम संसाधन व्यक्तियों का भुगतान किया जाना अनुमत नहीं होगा। संबंधित विकास अधिकारी द्वारा केवल सोसायटी मुख्यालय जयपुर द्वारा अनुमोदित अंकेक्षण कलैण्डर के अनुरुप ही सामाजिक अंकेक्षण मानदेय का भुगतान किया जावेगा। इसके अतिरिक्त किसी भी अन्य सामाजिक अंकेक्षण/भिन्न कार्य के लिये इस प्लेटफार्म से कोई भुगतान नहीं किया जावेगा।
2. इस प्लेटफार्म पर भुगतान हेतु अधिकृत किये जाने हेतु संबंधित विकास अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी, मनरेगा द्वारा https://forms.gle/SeRgBxCj7qidhQ5Q9 लिंक पर अपनी सूचनाएं (जिले का नाम, पंचायत समिति का नाम, विकास अधिकारी का नाम, आधार संख्या,

(रामानन्द शर्मा)
निदेशक
सामाजिक अंकेक्षण

एस.एस.ओ. आई.डी, आधार लिंक मोबाईल नम्बर एवं कार्यालय की ईमेल आई.डी.) अविलम्ब प्रेषित की जावेगी ताकि बैंक से भुगतान कार्यवाही प्रारम्भ हो सके।

3. राजस्थान पेमेंट प्लेटफार्म पर संचालित ई पंचायत एप्लीकेशन में संबंधित भुगतान अधिकारियों के मार्ग दर्शन हेतु यूजर मैन्युवल उपलब्ध रहेगी जिसके अनुसार भुगतान कार्यवाही सम्पादित की जानी है।
4. संबधित विकास अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा अपनी स्वयं की SSO ID के माध्यम से राजस्थान पेमेंट प्लेटफार्म पर संचालित ई पंचायत एप्लीकेशन में जाकर सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, SSAAT के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शासन सचिवालय, जयपुर में संधारित बैंक खाता संख्या 38872762396 से संबंधित योजना के वास्तविक रुप से सम्पादित सामाजिक अंकेक्षण कार्य का सामाजिक अंकेक्षण दल को मानदेय भुगतान करेगें। वर्तमान में मनरेगा योजना का अंकेक्षण किया जा रहा है। अतः सम्पूर्ण भुगतान मनरेगा योजना पर व्यय प्रभारित (Expenditure book) किया जावेगा परन्तु भविष्य में आवश्यकतानुसार अन्य योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण किये जाने पर संबंधित योजना पर व्यय प्रभारित (Expenditure book) किया जावेगा। अन्य योजनाओं हेतु आवश्यकतानुसार पृथक से निर्देश जारी किये जावेंगे।
5. सोसायटी मुख्यालय जयपुर द्वारा जारी किये गये सामाजिक अंकेक्षण कलैण्डर के अन्तर्गत जिन ब्लॉक / ग्राम संसाधन व्यक्तियों द्वारा वास्तविक रुप से निर्धारित ग्राम पंचायत का नियत तिथि को सामाजिक अंकेक्षण कार्य सम्पादित किया गया है, केवल उसी कार्य के लिये पात्र व्यक्तियों को मानदेय भुगतान किया जावेगा। संबंधित सामाजिक अंकेक्षण दल के सभी सदस्यों द्वारा नियत तिथि की सामाजिक अंकेक्षण कार्य रिपोर्ट निर्धारित प्रकिया से संबंधित पंचायत समिति सोसायटी मुख्यालय जयपुर को भेजने की सुनिश्चितता करने के उपरांत विकास अधिकारी, पंचायत समिति को प्रस्तुत मूल संशोधित प्रपत्र–8 के आधार पर भुगतान किया जावेगा। **विकास अधिकारी वास्तविक रुप से सामाजिक अंकेक्षण कार्य सम्पादित होने, उसकी रिपोर्ट मुख्यालय को निर्धारित लिंक से सोसायटी मुख्यालय जयपुर को भिजवाना सुनिश्चित करने और सामाजिक अंकेक्षण की भौतिक रिपोर्ट पंचायत समिति कार्यालय में प्राप्त होने के उपरांत ही मानदेय भुगतान करेगें।**
6. मूल संशोधित प्रपत्र–8 पर ही विकास अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी, मनरेगा द्वारा भुगतान स्वीकृति प्रदान की जावेगी और भुगतान के उपरान्त प्रतिदिन के समस्त भुगतानों की सूची का प्रिंट आउट राजस्थान पेमेंट प्लेटफार्म पर संचालित ई पंचायत एप्लीकेशन के भुगतान रिपोर्ट्स में से लेकर विकास अधिकारी से हस्ताक्षर करवाकर सामाजिक अंकेक्षण संबंधित पत्रावली में पंचायत समिति में संधारित किया जावेगा। जिसका यथासमय सोसायटी के अधिकारियों एवं महालेखाकार अंकेक्षण दलों द्वारा भी निरीक्षण / अंकेक्षण किया जा सकेगा।
7. ब्लॉक संसाधन व्यक्ति को प्रतिदिन रुपये 500 / – (अक्षरे रुपये पॉच सौ मात्र) एवं ग्राम संसाधन व्यक्ति को रुपये 300 / – (अक्षरे रुपये तीन सौ मात्र) की दर से मानदेय राशि का भुगतान किया जाना है। इस कार्यालय के आदेश कमांक एफ.61(110)SSAAT / Conc. SA Calendar / 2020–21 / 2018 दिनांक 09.12.2020 (आदेश संख्या 11 / 2020) द्वारा रजिस्टर्ड

([illegible] शर्मा)
निदेशक
[illegible]

डाक के माध्यम से सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट विकास अधिकारी को भिजवाने पर सामाजिक अंकेक्षण दल को डाक खर्च भी अनुमत किया हुआ है। अतः यदि किसी अंकेक्षण दल द्वारा डाक खर्च के पेटे राशि की मॉग की जाती है तो उसकी डाक विभाग की मूल रसीद प्राप्त करके विकास अधिकारी द्वारा पंचायति समिति में इस प्रयोजनार्थ संधारित सामाजिक अंकेक्षण पत्रावली में रिकार्ड में सुरक्षित रखा जावेगा तथा प्रपत्र–12 में इस आशय का प्रमाणन प्रेषित किया जावेगा।

8. मनरेगा योजना के अंतर्गत एक ग्राम पंचायत का सामाजिक अंकेक्षण कार्य सामाजिक अंकेक्षण दल द्वारा सम्पादित किये जाने के निर्देश हैं जिनमें एक ब्लॉक संसाधन व्यक्ति (BRP) व पॉच ग्राम संसाधन व्यक्ति (VRPs) (अर्थात कुल 6 सदस्यों से अधिक न हो) को ही सामाजिक अंकेक्षण का कार्य के पेटे मानदेय भुगतान किया जावेगा।
9. किसी ग्राम पंचायत के सामाजिक अंकेक्षण कार्य के लिये मानदेय भुगतान सोसायटी मुख्यालय जयपुर द्वारा निर्देशित कार्य दिवसों के लिये ही किया जावेगा। बिना सामाजिक अंकेक्षण सम्पादित किये अथवा स्वीकृत कलैण्डर से भिन्न कोई भी अतिरिक्त कार्य दिवसों का बिना मुख्यालय की पूर्व लिखित स्वीकृति/अनुमति के या सामाजिक अंकेक्षण मानदेय से भिन्न कार्य हेतु भुगतान किये जाने पर संबंधित विकास अधिकारी व्यक्तिगत रुप से उत्तरदायी होगें और अनियमित भुगतान की गई राशि उनसे व्यक्तिशः वसूल की जावेगी।
10. सभी विकास अधिकारीगण अपनी पंचायत समिति के अंतर्गत पंजीकृत ब्लॉक/ग्राम संसाधन व्यक्तियों की बैंक खातों से संबंधित समस्त सूचनाओं यथा संसाधन व्यक्ति का नाम, बैंक का नाम, बैंक की शाखा का नाम, बैंक खाता संख्या, आई.एफ.एस.सी. कोड़ आदि का प्रमाणीकरण (Data Validation) करके ही मानदेय भुगतान करेंगे। **सभी विकास अधिकारियों द्वारा बैंक खातों की सूचनाओं का प्रमाणीकरण (Data Validation) दिनांक 15.04.2021 तक सम्पादित कर लिया जावेगा। इसके उपरांत उन्हें संधारित डेटा में संसोधन की कोई अनुमति नहीं होगी।**
11. किसी भी ब्लॉक/ग्राम संसाधन व्यक्ति का पंजीयन केवल सोसायटी मुख्यालय जयपुर द्वारा ही किया जावेगा। विकास अधिकारी द्वारा किसी भी अपंजीकृत व्यक्ति को सामाजिक अंकेक्षण कार्य आवंटित नहीं किया जावेगा। संसाधन व्यक्तियों की कमी होने के कारण यदि किसी नवीन संसाधन व्यक्ति को पंचायत समिति द्वारा सामाजिक अंकेक्षण कार्य आवंटित करना आवश्यक हो तो उसका निर्धारित लिंक पर आवेदन के माध्यम से सोसायटी मुख्यालय पर पंजीयन करवाकर ही कार्य आवंटित किया जा सकेगा।
12. संबंधित विकास अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी, नरेगा द्वारा प्रतिमाह जारी कलैण्डर अनुसार प्रत्येक माह में ग्राम पंचायतवार किये गये भुगतानों बाबत प्रमाण–पत्र निर्धारित **प्रपत्र संख्या –12** में मासिक रुप से भिजवाना आवश्यक होगा जो आगामी माह के 5 तारीख तक अनिवार्य रुप से सोसायटी मुख्यालय जयपुर को ईमेल आई.डी. MIS.DIR.SOCIALAUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN भिजवाया जावेगा। यदि किसी माह के अवशेष भुगतान विगत माह के प्रपत्र 12 के कॉलम संख्या 8 एवं 9 के अनुसार आगामी माह में किया जाता है तो चालू माह के अतिरिक्त पूर्व के समस्त माहों के बकाया रहे भुगतानों को भी

(रामनारायण शर्मा)
निदेशक

इसी प्रपत्र में अंकित कर भिजवाना होगा ताकि तिथिवार जारी कलैण्डर के अनुसार मानदेय भुगतान की समीक्षा हो सके।

13. सोसायटी के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा विभिन्न पंचायत समितियों एवं मुख्यालय स्तर पर किये गये सभी भुगतानों का बैंक खाते की लेनदेन प्रविष्टियों से अंक मिलान (Reconcillation) मासिक रुप से करवाया जावेगा और अंक मिलान सुदा बैंक खातें का स्टेटमेंट सोसायटी के लेखा पुस्तकों के रुप में कैशियर द्वारा संधारित किया जावेगा। इस प्रकार प्रमाणित बैंक स्टेटमेंट सोसायटी की कैशबुक/बैंक बुक के रुप में मान्य होगा।

14. बैंक खाते में से किये गये मानदेय भुगतानों एवं अन्य समस्त भुगतानों को सम्मिलित करते हुए सोसायटी मुख्यालय स्तर से विभिन्न योजनाओं के उपयोगिता प्रमाण–पत्र (Utilization Certificate) एवं तुलन प्रत्र (Balance Sheet) आदि मुख्यालय स्तर पर बनवाये जायेंगे। चूंकि किसी भी पंचायत समिति को कोई भी बजट आवंटित नहीं किया जा रहा है और न ही कोई राशि उनके बैंक खातों में हस्तानांतरित की जा रही है और विकास अधिकारी द्वारा केवल मुख्यालय के बैंक खाते में से ही मानदेय राशियो का सीधे तौर पर लाभार्थियों के बैंक खातों में राशियॉ हस्तानांतरित (Direct Benefit Transfer-DBT) किया जा रहा है, अतः पंचायत समिति स्तर पर कोई भी लेखा पुस्तकों के संधारण की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान पेमेंट प्लेटफार्म पर संचालित ई पंचायत एप्लीकेशन से दैनिक भुगतानो की सूची का प्रिंट आउट (Print Out) विकास अधिकारी द्वारा प्रमाणित कर सामाजिक अंकेक्षण पत्रावली में बैंक बुक के रूप में संधारित किया जावेगा।

15. **माह दिसम्बर 2020 में सम्पादित करवाये गये समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण कार्य का भुगतान सोसायटी मुख्यालय जयपुर द्वारा ही किया जा रहा है/जावेगा। माह जनवरी 2021 में संलग्न सूची में अंकित अंकेक्षण तिथियों और ग्राम पंचायतों के सामाजिक अंकेक्षण मानदेय का भुगतान सोसायटी मुख्यालय, जयपुर द्वारा संबंधित ब्लॉक/ग्राम संसाधन व्यक्तियों के बैंक खातों में किया जाना प्रकियाधीन है। अतः माह जनवरी 2021 में सम्पादित अंकेक्षण कार्य में से इन ग्राम पंचायतों को छोड़कर अवशेष ग्राम पंचायतों के समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण कार्य के पेटे सामाजिक अंकेक्षण दलों को मानदेय का भुगतान संबंधित पंचायत समिति द्वारा किया जावेगा ताकि दोहरे भुगतान की संभावना ना रहे। माह फरवरी 2021 से लगातार मानदेय भुगतान पंचायत समिति द्वारा ही किया जावेगा।**

16. सामाजिक अंकेक्षण दलों द्वारा निर्धारित लिंक पर प्रेषित समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट के सारांश से संबंधित सूचना दिनांक 08.02.2021, 22.02.2021 एवं 04.03.2021 को ई–मेल द्वारा सभी पंचायत समितियों को भिजवाई जा चुकी है और समय समय पर प्राप्त सूचनायें नियमित रुप से पंचायत समितियों को प्रेषित की जाती रहेंगी। मानदेय भुगतान से पूर्व समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट का सारांश निर्धारित लिंक पर मुख्यालय को प्रेषित करना अनिवार्य है। इस रिपोर्ट के पश्चात पंचायत समिति में प्राप्त भौतिक अंकेक्षण रिपोर्ट में प्रेषित मूल संशोधित प्रपत्र–8 के आधार पर संबंधित सामाजिक अंकेक्षण दल के सदस्यों को मानदेय भुगतान किया जावेगा। बैंक से भुगतानार्थ ऑनलाईन प्रकरण भेजने से पूर्व संशोधित प्रपत्र–8 (नमूना संलग्न)पर नीचे अंकित अनुसार भुगतान स्वीकृति का अंकन विकास अधिकारी द्वारा

(सामान्तकुमार शर्मा)
निदेशक
सामाजिक अंकेक्षण

किया जावेगा। इस प्रकार जारी सभी भुगतान स्वीकृतियों को पंचायत समिति में सामाजिक अंकेक्षण संबंधी पत्रावली में संधारित किया जावेगा, जो सोसायटी मुख्यालय एवं महालेखाकार द्वारा निर्देशानुसार अंकेक्षण के लिये प्रस्तुत करने होंगे:–

<u>भुगतान स्वीकृति</u>

उक्त समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण की रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्रों में भौतिक रुप से दिनांक .... को पंचायत समिति में प्राप्त हो चुकी है तथा समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण का सारांश निर्धारित प्रकिया से दिनांक .... को सोसायटी मुख्यालय, जयपुर को भिजवाई जा चुकी है। अतः भुगतान स्वीकृत किया जाता है।

हस्ताक्षर मय सील

विकास अधिकारी पं. समिति...............

17. महात्मा गॉधी नरेगा सोसायटी मुख्यालय द्वारा किये गये/किये जाने वाले मानदेय भुगतानों की स्वीकृतियॉ मनरेगा, राजस्थान की website- nrega.raj.nic.in पर अपलोड की जाती हैं/जावेंगी।

सोसायटी मुख्यालय द्वारा पंचायत समिति स्तर पर किये गये भुगतानों की सूची नियमित रुप से सोसायटी (SSAAT)/मनरेगा, राजस्थान की website- nrega.raj.nic.in पर अपलोड की जावेगी या लघु संदेश (SMS) प्रेषित कर अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था कायम करके लाभार्थियों को सूचना उपलब्ध करवाई जावेगी।

उपरोक्त निर्देश महा लेखाकार कार्यालय से प्राप्त परामर्श के आधार पर सोसायटी में सक्षम स्तर पर लिये गये निर्णय के अनुसार जारी किये जाते हैं।

उक्त आदेश श्रीमान शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग सह सदस्य सचिव, शासी निकाय, SSAAT की आई.डी. संख्या 810 दिनांक 15.03.2021 एवं श्रीमान अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग सह अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, SSAAT की आई.डी. 907 दिनांक 15.03.2021 द्वारा अनुमोदित हैं।

संलग्न– (i) प्रपत्र–12 (ii) संसोधित प्रपत्र–8 का नमूना (iii) माह जनवरी 2021 के भुगतानों की सूची

17/3/2021

(रामावतार शर्मा)
निदेशक, SSAAT

क्रमांकः एफ61(1)SSAAT/Bankaccount/2020-21/2042-2065 जयपुर दिनांकः 16.3.21

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान।
2. वरिष्ठ उप सचिव, श्रीमान् मुख्य सचिव सह अध्यक्ष, शासी निकाय, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT), राजस्थान, जयपुर।
3. श्रीमान् सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

(रामावतार शर्मा)
निदेशक

राजस्थान सरकार

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT), राजस्थान, जयपुर

प्रपत्र–12

ब्लॉक/ग्राम संसाधन व्यक्तियों को मानदेय भुगतान बाबत मासिक विवरण पत्र (माह ....)

जिला.................... पंचायत समिति .... दिनांक...............

SSAAT द्वारा जारी कलैण्डर		अंकेक्षित ग्राम पंचायतों की संख्या	भुगतान का विवरण				अवशेष की स्थिति	
दिनांक	ग्राम पंचायतों की संख्या		ग्राम पंचायतों की संख्या	राशि (रूपये)			ग्राम पंचायतों की संख्या	राशि रूपये
				मानदेय	डाक व्यय	कुल योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
कुल योग								

प्रमाणित किया जाता है कि –

1. सामाजिक अंकेक्षण दल द्वारा अंकेक्षित ग्राम पंचायत की समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट भौतिक रूप से प्राप्त कर ली गई है। सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट का सारांश निर्धारित लिंक के माध्यम से SSAAT मुख्यालय, जयपुर को प्रेषित किया जा चुका है।
2. सामाजिक अंकेक्षण सम्पादन किये जाने के पेटे SSAAT में पंजीकृत पंचायत समिति क्षेत्र के ब्लॉक/ग्राम संसाधन व्यक्तियों को ही नियमानुसार भुगतान किया गया है जो SSAAT मुख्यालय द्वारा निर्धारित संशोधित प्रपत्र–8 में अंकित विवरणानुसार है।
3. समस्त ब्लॉक/ग्राम संसाधन व्यक्तियों को किये गये मानदेय भुगतान हेतु प्राप्त मूल संशोधित प्रपत्र–8, राजस्थान पेमेंट प्लेटफार्म पर संचालित ई पंचायत एप्लीकेशन से निकाली (System generated) संसाधन व्यक्तियों की भुगतान सूची एवं डाक खर्च की राशि की मूल रसीदें प्राप्त कर सामाजिक अंकेक्षण पत्रावली में संधारित रख ली गई हैं जो अंकेक्षण/निरीक्षण हेतु यथा समय प्रस्तुत कर दी जावेंगी।

(रामावतार शर्मा)
निदेशक

हस्ताक्षर ....
नाम ....
मोबाईल नंबर ....
विकास अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी, मनरेगा
पंचायत समिति...................... मय सील

3	सांगानेर	दादीया	06.1.2021	1700
4	सांगानेर	नम्मोरिया	06.1.2021	1700
5	सांगानेर	आशावाला	06.1.2021	2000
6	सांगानेर	बडी का बास	06.1.2021	2000
7	सांगानेर	भापुरा	06.1.2021	2000
8	सांगानेर	अजयराजपुरा	06.1.2021	2000

(रमकान्त शर्मा)
प्रभारी अधिकारी
सहायक लेखाधिकारी
जिला– दौसा

17.3.21
(नेमीचन्द गुप्ता)
प्रभारी अधिकारी
सहायक लेखाधिकारी
जिला– भरतपुर

17/3/21
(मोहन लाल खण्डेलवाल)
प्रभारी अधिकारी
सहायक लेखाधिकारी
जिला–जालौर

17/3/21
(जगदीश प्रसाद शर्मा)
प्रभारी अधिकारी
सहायक लेखाधिकारी
जिला – जयपुर

(रमेश खण्डेलवाल)
प्रभारी अधिकारी
सहायक लेखाधिकारी
जिला – राजसमन्द

17.3.21
(मोहन लाल कुमावत)
लेखाधिकारी
(सामाजिक अंकेक्षण)

17.3.2021
(रामावतार शर्मा)
निदेशक
सामाजिक अंकेक्षण

संशोधित

राजस्थान सरकार

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)

(E mail : DIR. SOCIALAUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN TEL. 0141-2227033)

सामाजिक अंकेक्षण दल के सदस्यों को देय राशि का विवरण

अंकेक्षण की

जिला ....

पंचायत समिति................

क्रसं	अंकेक्षित ग्राम पंचायत का नाम	रजिस्ट्रेशन नंबर	सामाजिक अंकेक्षण दल के सदस्य का नाम (बैंक पास बुक के नाम के अनुसार	देय राशि (रूपये)	बैंक का नाम जहाँ प्रार्थी का खाता है।	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	डाक खर्च
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
			कुल योग					
						अक्षरे रूपये		

प्रमाणित किया जाता है कि ... अंकेक्षण दल को संदर्भित ग्राम पंचायत की ऑडिट वास्ते कार्यादेश जारी किया गया था, जिसकी पालना में उक्त अंकेक्षण दल सदस्यों द्वारा ऑडिट रिपोर्ट पंचायत समिति
से प्रस्तुत की जा चुकी है।

ब्लॉक संसाधन व्यक्ति (BRP)

नाम	हस्ताक्षर

ग्राम संसाधन व्यक्ति (VRP)

नाम	हस्ताक्षर
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

हस्ताक्षर
कार्यकम अधिकारी/विकास अधिकारी...................
नाम मय सील..
मोबाईल नं.................................. ई.मेल. आई.डी..

भुगतान स्वीकृति

उक्त समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण की रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्रों में भौतिक रूप से दिनांक .... को पंचायत समिति में प्राप्त हो चुकी है तथा समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट क
प्रकिया से दिनांक .... को सोसायटी मुख्यालय, जयपुर को भिजवाई जा चुकी है। अतः भुगतान स्वीकृत किया जाता है।

हस्ताक्षर मय सील
विकास अधिकारी पं.